संख्या- 22 /2015/555 /35-1-2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त विभागाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, राजकीय निर्माण एजेन्सी।

नियोजन अनुभाग- 1 **लखनऊ : दिनॉक 14 मई, 2015**

विषय: विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य सम्बन्धित परियोजनाओं को जनोपयोगी बनाने के उद्देश्य से प्रभावी अनुश्रवण हेतु ई-परियोजना प्रबन्धन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनॉक 10 अप्रैल, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश में विभिन्न विभागों की दिनॉक 01 अप्रैल, 2015 के पश्चात् स्वीकृत होने वाली समस्त परियोजनाओं का ई-परियोजना प्रबन्धन के माध्यम से अनुश्रवण किया जाना था। उच्च स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया है कि दिनॉक 01 अप्रैल, 2015 के पूर्व स्वीकृत/निर्माणाधीन परियोजनाओं का भी अनुश्रवण ई-परियोजना प्रबन्धन के माध्यम से ही किया जाये।

उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश में विकास विभागों की दिनॉक 01 अप्रैल, 2015 के पूर्व स्वीकृत समस्त निर्माणाधीन/अपूर्ण अवस्थापनाओं की समीक्षा नियोजन विभाग के स्तर पर की जाती रही है। दिनॉक 31 मार्च, 2015 तक विभागों से निर्माणाधीन अवस्थापनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त प्रारम्भिक सूचनायें/ विवरण को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इन निर्माणाधीन अवस्थापनाओं की समीक्षा/अनुश्रवण ई-परियोजना प्रबन्धन के माध्यम से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करने हेतु संबंधित विभाग, अपूर्ण/निर्माणाधीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:-

1. पोर्टल पर उपलब्ध निर्माणाधीन अवस्थापनाओं के विवरण यदि अपूर्ण है अथवा कोई विसंगति हो तो सर्वप्रथम विवरण ठीक करवाते हुए वांछित सूचनायें फीड कराना।
2. इन परियोजनओं के अवशेष कार्यो के माइलस्टोन संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के साथ निर्धारित कर दिनांक 31 मई, 2015 तक ई-परियोजना प्रबन्धन के पोर्टल पर फीड (दर्ज) कराना।
3. पोर्टल पर उपलब्ध परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य छूटी हुई निर्माणाधीन परियोजनाओं को संबंधित विभाग की सूची में सम्मिलित कर उसकी भी इन्ट्री कराना।

दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी नियोजन अनुभाग-1 के सन्दर्भित शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायें तथा शेष व्यवस्थायें यथावत् प्रभावी रहेगीं।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या- 22 /2015/555 /35-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन, को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवगतार्थ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,

(जे0बी0सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।